न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 60/2025 (GCMS C.N. 2025/653) खाद्य सुरक्षा

उनवान

सरकार जरिये अशोक कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाघ सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, भीलवाडा	**बनाम**	1. चिराग जाट पुत्र शंकरलाल जाट(विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ट्रेडर्स, गंगापुर रोड़, रायपुर जिला भीलवाड़ा 2. शंकर लाल जाट पुत्र मगनी राम(मालिक) मैसर्स श्रीराम ट्रेडर्स, गंगापुर रोड़, रायपुर जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थी		**–विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 02/02/2026

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी 1 व 2 के साकीन मैसर्स श्रीराम ट्रेडर्स, गंगापुर रोड तह–रायपुर पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को **हल्दी पाउडर(खुला)** का विकय कर रहा था। विपक्षी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विपक्षीगण फर्म पर लगभग **10 किग्रो० हल्दी पाउडर** विकय हेतु **खुले कट्टे में** रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय

2.2.26

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक **खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.08.2025 को समय 3.00 पी.एम.** पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग **मैसर्स–श्री श्रीराम ट्रेडर्स गंगापुर रोड तह–रायपुर जिला भीलवाडा** पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं है।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 450/–रू. नकद देकर 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर(खुला) जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर पेपर स्लिप संख्या **एक्स– 2701** नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./1055/एक्ट/2025/1075 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण **Contravention Regulation No. 2.3.14.(15) , sold in Loose condition** होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियमों के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा **Loose condition (Haldi powder)** का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक **25.11.2025** को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक **27.01.2026** को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य **नमूना हल्दी पाउडर लूज** होना पाया गया है। **अजमेर** से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने लूज पाया गया, इसलिए लिया गया खाद्य नमूना **लूज** होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा लूज सामग्री का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की **धारा 58** में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय

2.2.26
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि वह कोई मिलावट नही करता है। **लूज कंडीशन हल्दी** पाउडर मानव जीवन के लिए हानिकारक नही था। प्रथम गलती मानते हुये प्रकरण में माफी प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जांच रिपोर्ट कमांक 1075/20.08.2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया *खाद्य नमूना(हल्दी पाउडर लूज)* निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सेम्पल(Loose) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत बेंचमार्क में होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना *LOOSE* होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा *LOOSE* खाघ सामग्री विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की *धारा 58* में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी **LOOSE** का विकय करने के लिये दोषी है जिसका विकय किया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना **धारा 58** में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की **धारा 58** में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की **धारा 58** के अन्तर्गत **10,000/रूपये (अक्षरे दस हजार रूपए मात्र)** शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि ई–ग्रास पोर्टल पर जरिये ई–चालान में Office Name:- Chief Medical & Health Officer, Bhilwara का चयन कर उक्त राशि मद 0210–04–800–03–00 में जमा करा, चालान की एक प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक **02.02.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.2.26

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि संबंधित मद में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2. चिराग जाट एवं शंकर लाल जाट मैसर्स श्रीराम ट्रेडर्स गंगापुर रोड, रायपुर जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा